शीर्ष प्राथमिकता।

संख्या– 33 /सत्तर–3–2021–08(35)/2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2021

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नैक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों के सतत् एवं समयान्तर्गत मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश अर्ह राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों का या तो नैक मूल्यांकन कराया नहीं गया है अथवा उनका मूल्यांकन कालातीत हो गया है। एक बार मूल्यांकन कराने के बाद समयान्तर्गत पुनर्मूल्यांकन न कराना नैक मूल्यांकन के प्रति उदासीन मानसिकता को दर्शाता है। विभिन्न सेमिनार/वर्कशॉप में यह बात सामने आयी है कि नैक मूल्यांकन कराने एवं न कराने वाले महाविद्यालयों में कोई अन्तर न होने के कारण प्राचार्य/शिक्षक नैक मूल्यांकन में व्यक्तिगत रूचि नहीं लेते हैं। अतः नैक मूल्यांकन के प्रति उदासीनता समाप्त करने एवं मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है, जिससे अर्ह महाविद्यालयों के प्राचार्य/शिक्षक समयान्तर्गत नैक मूल्यांकन कराने के लिए सामूहिक रूप से आगे आयें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उद्देश्य हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

- नैक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने के लिए निदेशालय/विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की समितियों आदि कार्यों में नैक मूल्यांकित महाविद्यालयों के प्राचार्य/शिक्षकों को वरीयता दी जाय।
- निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान स्वीकृत करने में नैक मूल्यांकित महाविद्यालयों को वरीयता दी जाय तथा सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की मांग पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- निदेशालय/विश्वविद्यालय स्तर पर नैक मूल्यांकन को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनायें बनायी जाय।
- विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों को सम्मानित किया जाय।
- निदेशालय स्तर पर सर्वोच्च ग्रेड लाने वाले महाविद्यालयों को सम्मानित किया जाय।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/361/2021
दिनांक 21/1/2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये नैक मूल्याकंन को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 33 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2021 दिनांक 05 जनवरी, 2021 के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में गुणवत्तपूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये शिक्षा संस्थानों को समयान्तर्गत मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकांश अर्ह राजकीय / अनुदानित महाविद्यालयों या तो नैक कराया नही गया है अथवा उनका मूल्यांकन कालातीत हो गया है एक बार मूल्यांकन कराने के बाद समयान्तर्गत पुनमूल्यांकन न कराना उदासीन मानसिकता का दर्शाता है। अतः नैक मूल्यांकन के प्रति उदासीनता समाप्त करने के लिये नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है जिससे अर्ह महाविद्यालयों के प्राचार्य / शिक्षक समयान्तर्गत नैक मूल्यांकन कराने के लिये सामूहिक रूप से आगे आये। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन ने नैक मूल्यांकित कराने के लिये विश्वविद्यालय स्तर से भी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये अपने महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–शासन के पत्र की प्रति।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सहायक कुलसचिव कुलपति सचिवालय, कुलपति जी को अवलोकनार्थ।
2. NAA/IQRAC कोआर्डिनेटर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. एजेन्सी 2015–21 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की लॉगिन एवं विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

Affisvlett